

214

न्यायालय श्रीमान आयुक्त राजस्व मंडल कैम्प रीवा ०० प्र०

291
12.6.13



Rs. 20/-

R-2856-II/13

अधिवक्ता श्री नारायण सिंह
डाटा प्रसाद
रीवा दिनांक 12.6.13

1. छकौड़ी लाल तनय रामखेलावन गुप्ता निवासी ग्राम मझौली, तहसील मझौली, जिला सीधी ०० प्र०
वाला प्रसाद तनय रामबिशाल राम ब्रा० निवासी टेंकर तहसील मझौली, जिला सीधी ०० प्र०

अपीलार्थीगण

ब न म

1. लालमणि सिंह तनय हीरालाल सिंह गोड़
2. मुसम्मामत रामबाई पत्नी हीरालाल सिंह गोड़
3. बेबा छोहरिया पत्नी मोती लाल सिंह गोड़
4. अमरदेव सिंह तनय मोती लाल सिंह
5. रमेश सिंह तनय मोती लाल सिंह
समस्त निवासी ग्राम सरेहा, तहसील मझौली, जिला सीधी ०० प्र०

रेस्पॉण्डण

निगरानी बिस्व न्यायालय अपर आयुक्त
महोदय रीवा के अपील प्र० प्र० 864/अपील/11-12
मे पारित आदेश दिनांक 4.6.2013 के बिस्व
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 ०० प्र० प्र० रीवा
के अधीन निगरानी

कलक बाफ फोटे
राजस्व मंडल, म० प्र०
खालियर

19.6.13

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि, निगरानीकर्तागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.6.13 से हथकित होकर होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि, पुराना भूमि क्रमांक 248 से नवीन नम्बर 180 रकबा 0.71 ए. निर्मित हुआ जिसके भूमिस्वामी निगरानीकर्ता क्रमांक 2 दर्ज है। पुराना

वाला प्रसाद

next


1152

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2806-II/13

जिला-सीधी

छकौड़ीलाल गुप्ता/लालमणि सिंह

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है।3. अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक श्री शिवशरण सिंह एड० उपस्थित।4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	